Compilation of some reference articles in print media on issue of land acquisition and urea shortage in India as of 18-01-2015. References are collected in connection to this article:

http://www.nidanaheights.com/choupalhn-asahyog-andolan.html

भारतीय किसान मजदूर संगठन का कैलेंडर लांच करते वीएम सिंह।

जमीन छीनने का कानून ला रही सरकार : वीएम

नई दिल्ली(ब्यूरो)। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिये किसानों की जमीन जबरन लेकर उद्योगपतियों को देने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में रविवार को किसान नेता सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में किसानों के अलग-अलग संगठनों ने ग्रेटर कैलाश स्थित उनके आवास पर बैठक कर विरोध जताया। किसानों ने एक्ट में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि सरकार नहीं मानी तो किसान संसद का घेराव करेंगे।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान अच्छे दिनों का वादा किया। किसानों ने पूरी एकजुटता के साथ

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में किसानों को आपत्ति का भी मौका नहीं

उनका समर्थन भी किया। मगर अब वही मोदी की सरकार व बीजेपी जो 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल को काला कानून बताती थी। अब वही भाजपा सरकार जो कानून ला रही है उसमें किसानों से मंजूरी लेना दूर की बात है उनसे आपत्ति जताने का भी हक छीन लिया गया है। सरकार के अध्यादेश की माने तो केंद्र सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण बिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 80 फीसदी किसानों की मंजूरी और पब्लिक पार्टनरशिप में 70 फीसदी किसानों से मंजूरी लेना अनिवार्यता को भी हटा दिया है। किसान चाहे या ना चाहे उसकी जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी जाएगी।

भू-अधिग्रहण में बदलाव

निजी अस्पतालों के लिए भी भूमि लेगी सरकार

80 फीसदी लोगों की सहमति की जरूरत भी नहीं होगी

एजेंसी. नई दिल्ली

सरकार अब स्कूल-कॉलेज और निजी अस्पतालों के लिए भी जमीन अधिग्रहण करेगी। इसके लिए न तो 80 फीसदी रहवासियों की सहमति जरूरी होगी और न ही सोशल इंपैक्ट का आकलन जरूरी होगा। ये सभी बदलाव भूमि अधिग्रहण पर लाए गए अध्यादेश में किए गए हैं। बीते सोमवार को कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिर्फ इस बात को प्रचारित किया था कि रक्षा और सस्ते आवास जैसे पांच सेक्टर के लिए जमीन का अधिग्रहण आसान बनाया गया है। जमीन का इस्तेमाल नहीं होने पर उसे किसानों को लौटाने का नियम बदला गया है। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि पिछली तारीख से मुआवजा कम से कम देना पड़े।

इसके अलावा दोषी पाए गए सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी अब मुश्किल हो जाएगी। यूपीए सरकार ने 1 जनवरी 2014 से नया कानून लागू किया था। शेष पेज 6

उद्योग, अफसर और कंपनियों को फायदा

	पहले यह था	अब यह
जमीन लौटाने का प्रावधान	पांच साल तक अधिग्रहीत जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा।	पांच साल को बदलकर "प्रोजेक्ट लगाने की तय अवधि या पांच साल- जो ज्यादा हो" किया गया।
इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब	इन्फ्रा प्रोजेक्ट में निजी अस्पताल, निजी शिक्षा संस्थान और निजी होटलों को बाहर रखा गया था।	निजी अस्पतालों और निजी शिक्षा संस्थानों को शामिल किया। यानी इनके लिए भी भू-अधिग्रहण होगा।
नौकरशाहों द्वारा डिफॉल्ट	किसी विभाग से गलती होती है तो विभाग प्रमुख दोषी होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।	अदालत सरकार से मंजूरी के बिन कार्रवाई नहीं करेगी। इसमें सीआरपीसी की धारा 97 मान्य होगी।
पिछली तारीख से मुआवजा	नया कानून उन मामलों में भी लागू होगा जिसमें पांच साल पहले जमीन अधिग्रहीत की गई हो लेकिन मुआवजा न दिया गया हो।	अधिग्रहण रोकने के लिए अगर कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर जारी किया गया है तो उसे 5 साल की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा।

बैंक पेशेवर तरीके से काम करें : मोदी पेज 11

नया भूमि अध्यादेश किसानों को ले आएगा सड़कों पर

किसानों की भूमि छीनने की तैयारी

राकेश टिकैत

भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना अधिनियम 2013 में अप्रत्याशित रूप से प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पिछले 8-10 वर्षों में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर देश में संघर्षरत हुए और किसानों की जानें गईं उस कानून में बदलाव करते समय देश के 'किसान आंदोलन' एवं अन्य जनांदोलनों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण कानून में लाए गए अध्यादेश से स्पष्ट है कि देश में औद्योगिक घरानों को किसानों की जमीन की लूट को छूट देने वाला है। जब देश में खेती की जमीनों को कौड़ियों के भाव पुलिस के दम पर अधिग्रहित किया जाने लगा, तो वर्ष 2010 से 2014 तक विभिन्न बैनर तले इसका बड़ा विरोध किया गया। कई अलग-अलग राज्यों में मध्य प्रदेश के जनपद अनुपपुर में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। सोमापेटा आंध्र प्रदेश, कलिंग नगर उड़ीसा में छह किसानों की जान गई, उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर में एक्सप्रेस वे के अधिग्रहण के विरोध में टप्पल व भट्टा परासोल में छह किसान मारे गए। उदाहरण के तौर पर जगतसिंह पुर उड़ीसा, कुडानकुलम जैतापुर, घोड़ी बछेड़ा, नंदीग्राम, सिंगूर की घटनाओं के बाद देश की सरकार व तमाम राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ा, तो देश की सरकार को 111 साल पुराने कानून को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसानों का संघर्ष और बलिदान के बाद नया भूमि अधिग्रहण कानून पास किया गया। हालांकि यह कानून भी पूर्णरूप से किसान हित में नहीं था, लेकिन कुछ बुनियादी चीजों को इस कानून में शामिल किया गया। पहला पीपीपी मॉडल व निजी अधिग्रहण में 70 प्रतिशत व 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की आवश्यकता व अधिग्रहण से सामाजिक एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना, किसानों को बल देता था। अचानक अप्रत्याशित रूप से लाए गए अध्यादेश से सरकार की नियत पर सवाल है कि ऐसे कानून को एक वर्ष के अंदर ही क्यों बदल दिया गया? 111 वर्ष बाद किसानों को यह अहसास हुआ था कि हम भी आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन इस अध्यादेश के बाद किसानों की यह खुशी चंद दिनों के बाद ही काफूर हो गई। भारत सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 प्रतिशत तथा निजी कंपनियों के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों की सहमति की अनिवार्यता के प्रावधान को समाप्त किया जाना, सामाजिक प्रभाव अध्ययन की अनिवार्यता न्यूनतम बहुफसली खेती की जमीन के अधिग्रहण करने के प्रावधान को समाप्त करने तथा धारा 24 (2) में पांच वर्ष की समयसीमा समाप्त करने से विकास के नाम पर जमीन की लूट को कानूनन मान्यता दे दी गई है। पांच वर्ष के अंदर अगर अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होता है, तो उसे मूल मालिक को लौटाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। अब बिना उपयोग किए हुए भी भूमि लंबे समय तक उद्योगपति अपने पास रख सकते हैं, (सेक्शन 101 में संशोधन)। सरकार ने खुद को नए कानून को लागू करने में पैदा होने वाली किसी भी कठिनाई को हटाने के लिए नोटीफिकेशन जारी करने की समयसीमा को दो से बढ़ाकर पांच साल कर लिया गया है, ताकि किसानों की जमीन की लूट आसान बनी रहे। मोदी सरकार के गठन के बाद से ही किसानों में सरकार की तरफ से की जा रही बयानबाजी से यह आशंका बनी हुई थी कि सरकार द्वारा अब तक बने जनहितैषी कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जो सच साबित हुई। भारतीय किसान यूनियन ने कई बड़े आंदोलन कर पुराने भूमि अधिग्रण बिल को रद्द कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय किसान यूनियन ने संसद की स्थाई समिति के समक्ष देश के किसानों का पक्ष रखते हुए अपनी बात मनवाने में सफलता हासिल की थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून दो साल तक चली राष्ट्रव्यापी बहस के बाद बनाया गया था। इस संबंध में दो सर्वदलीय बैठकें हुईं और बिल पर संसद के दोनों सदनों में 12 घंटे की चर्चा हुई। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज व अरुण जेटली द्वारा सुझाए गए दो संशोधनों को भी इस कानून में शामिल कर लिया गया था। संसद की स्थाई समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वाली स्थाई समिति द्वारा की गई 26 सिफारिशों को भी मानकर इस कानून में शामिल कर लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद में इस कानून को अपना समर्थन दिया था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से चौंकाने वाला यू-टर्न है। देश में बहुफसली जमीनों के अधिग्रहण से खाद्य सुरक्षा का भी संकट है। देश में किसी भी परियोजना को बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, लोहा, मजदूर तक बाजार भाव पर मिलती है, लेकिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण कभी भी बाजार भाव पर नहीं किया जाता। भारत सरकार का तर्क है कि अध्यादेश में किसानों की भूमि के मुआवजे में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सिंगूर इसका उदाहरण है कि वहां के किसानों की जमीनों का मालिक आज भी टाटा हैं। झारखंड के चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आदीवासियों की भूमि अधिग्रहण न किए जाने की बात कही थी, लेकिन लाए गए अध्यादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। देश में नारों के दम पर चुनाव अभियान चलाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नारों से बनने वाली सरकार भी अपनी की गई बातों पर खरी नहीं उतरती है, जैसे औद्योगिक गलियारे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ग्रामीण विद्युतीकरण, रक्षा आदि में छूट की बात की गई है।

देश के अधिकतर भूमि अधिग्रहण इसी परिधि में आते हैं, जिसके कारण सरकार को मनमानी करने की छूट मिलती है, इस अध्यादेश से कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण का रास्ता साफ होने के साथ-साथ किसानों की सहमति, निश्चित अवधि में परियोजना न बनने के कारण किसानों को जमीन वापसी, ग्राम सभा को शक्तिहीन और विकास के नाम पर किसानों की जमीन की लूट को बढ़ावा देता है।

खाद के लिए मारामारी, थाने में बंटी खाद

किसानों की भारी भीड़ और धक्का-मुक्की के चलते बुलानी पड़ी पुलिस, लगी रहीं लंबी कतारें

सदर थाने में खाद वंटवाती पुलिस व खाद लेने आईं महिलाओं की लंबी कतारें। जागरण

संयम रखें किसान

हैफेड के मैनेजर जोगेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्हें जितनी भी खाद प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जाती है उसका तुरंत वितरण करवा दिया जाता है। किसान संयम से खाद लेने पहुंचे तो हर किसान को आराम से खाद उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने खाद लेने आने वाले किसानों से अपील की कि किसान आराम से लाइनों में लगे तथा किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं करें।

जोगेंद

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : नगर में खाद कि लिए मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की भारी भीड़ के चलते प्रशासन को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे ही हालात बृहस्पतिवार को सुबह दादरी नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित हैफेड के कार्यालय के बाहर बने दिखाई दिए। किसानों को भारी भीड़ तथा धक्का मुक्की होने के चलते यहां पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन यूरिया लेने आए किसानों की तादात इतनी ज्यादा थी कि पुलिस की मौजूदगी मे भी खाद वितरण कार्य के दौरान किसानों की आपसी तनातनी लगातार बढ़ती गई। हालात ज्यादा बिगड़ते देख पुलिस ने खाद वितरण का कार्य सदर थाने में करवाने की व्यवस्था की। जिसके बाद सदर थाने में कतारें लगवाकर किसानों को खाद वितरित की गई। थाने में खाद खरीदने पहुंचे किसान घीसाराम, कर्णपाल, सुरेंद्र सिंह, धर्मपाल, रणधीर सिंह, कर्ण सिंह, विरेंद्र सिंह, छत्र सिंह, भूप सिंह, रामनिवास, अतर सिंह, राजेश, धर्मवीर, कर्णसिंह, धूप सिंह इत्यादि में बताया कि वे खाद के लिए पिछले 20 दिनों से हैफेड कार्यालय की जमीदारा सोसायटी के चक्कर लगा रहे है। लेकिन उन्हें खाद नही मिल पा रही है। वे बृहस्पतिवार को भी खाद लेने सदर थाने में पहुंचे थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आया ऐसे में उन्हें घंटो तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ा।

खाद के 1500 बैग पहुंचे

बृहस्पतिवार को खाद के 1500 बैग पुरानी मंडी स्थित जमीदारा सोसायटी कार्यालय में पहुंचे थे। प्रत्येक किसान को 3 बैग वितरित किए गए। लेकिन किसानों की तादात अन्य दिनों से ज्यादा होने के कारण सभी किसानों की यूरिया उपलब्ध नहीं हो सकी जिससे किसान घंटो तक लाइनों में लगने के बाद मायूस होकर अपने घरों की लौट गए। इस दौरान उन्हें भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। साथ में उनका कीमती समय भी बर्बाद हुआ।

दिनभर लाइन में लगने के बावजूद खाद न मिलने पर प्रदर्शन व जाम लगाने को मजबूर

खाद के लिए मारा-मारा घूम रहा किसान

आज समाज नेटवर्क

आज समाज

अवैध रूप से स्टोर किए 157 कट्टे बरामद

खाद लेने पहुंचे किसानों की भीड़ में हुई धक्का मुक्की

किसानों ने किया प्रदर्शन

किसानों ने जींद-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम

आज समाज

डीसी ने किया दुकानों का दौरा

अंगरेजों के जमाने में वापसी

ज़रा कल्पना कीजिये. कोई आपके घर में घुस आये और कहे कि 'जिस मकान में आपने पूरी जिंदगी गुजारी है वह फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए!' शायद आपका जवाब होगा 'ना बाबा, ना! अपनी फैक्ट्री किसी और जगह बना लीजिए!' लेकिन वो हाथ में फरमान लहराते हुए आपको बताता है कि उसे देशहित में आपको आपकी ही जमीन से बेदखल करने का हक है. इससे देश को कैसे फायदा होगा- आपके ऐसे फिजूल सवालों का जवाब देने का उसे वक्त नहीं है. 'मरता क्या न करता' की स्थिति में फंसे आप अब यह सोचते हैं कि मकान तो गया, कम से कम दाम ही मिल जाये. आपको बताया जाता है कि मकान का दाम भी आप नहीं, बल्कि आपको आपके घर से बेदखल करने वाला ही तय करेगा. वह आपको बताता है कि पिछले साल आपके पड़ोस में ऐसे ही मकान बिके थे और उनकी रजिस्ट्री के कागज पर जो कीमत दर्ज है, उसी हिसाब से आपको कीमत मिलेगी. आप चिल्लाते रह जाते हैं कि ज्यादातर रकम तो 'ब्लैक' में दी गयी थी, रजिस्ट्री में दर्ज कीमत तो जमीन की असल कीमत का एक हिस्सा भर है. लेकिन आपको अनसुना कर बस एक चेक थमा दिया जाता है. ना घर आपका रहा, ना वाजिब दाम आपको मिला. ऊपर से आपके मन का चैन और खत्म! अब आगे के कुछ साल आप कोर्ट-कचहरी और वकील के चक्कर लगायेंगे.

यह कोई दुस्वप्न नहीं है. यह देश के किसानों के साथ आये दिन पेश आने वाली घटना है. इसे कहते हैं भूमि अधिग्रहण. लोकतांत्रिक राज्य द्वारा अपनी संप्रभुता का प्रयोग कर देश के सर्वोच्च हित में जबरन जान-माल लेने का अधिकार. 'लोकहित' का मतलब रेलवे लाइन, सड़क और नहर जैसी जरूरी सुविधाएं बनाना हो तो शायद किसी को ऐतराज न हो. लेकिन 'लोकहित' का जुमला इस्तेमाल करके हाउस-कॉलोनी, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी या फिर अस्पताल बनाने के लिए भी जमीन पर कब्जा जमाया जाता है. इन सबका बनाया जाना भी जरूरी है. लेकिन आखिर इनके लिए जमीन हथियायी क्यों जा रही है, खरीदी क्यों नहीं जा रही? अगर आप फैक्ट्री बनाने के लिए किसी को ईंट और सीमेंट बेचने के लिए मजबूर नहीं करते तो फिर गरीब किसान को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर क्यों करते हैं? इसी 'लोकहित' की ही आड़ लेकर होटल, मनोरंजनी पार्क और गोल्फ-कोर्स बनाने के लिए जमीन हथियायी जाती है. मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के निवास के ठीक सामने जो रेस-कोर्स यानी घुड़-दौड़ का मैदान है, कभी सरकार गरीब लोगों को आवास देने के लिए उसका अधिग्रहण क्यों नहीं करती?

योगेंद्र यादव
आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता

सरकार ने चोर दरवाजे से एक अध्यादेश जारी किया है. कहने को यह पिछले साल के कानून में संशोधन करता है, लेकिन वास्तव में यह अध्यादेश 2013 के नये कानून की सारी सकारात्मक बातें खत्म कर देता है.

किसानों की किस्मत के साथ चलने वाले इस खिलवाड़ से पिछले साल थोड़ी राहत मिली थी. संसद ने अंगरेजों के जमाने से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को निरस्त किया. जमीन पर जबरिया कब्जा जमाने के लिए इसी अधिनियम का सहारा लिया जाता था. पूरे देश में दशकों से नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे सैकड़ों आंदोलन चल रहे थे कि इस अमानवीय कानून में बदलाव हो.

आखिर 2013 में संसद में भूमि-अधिग्रहण में पारदर्शिता बरतने, उचित मुआवजा और पुनर्वास के अधिकार का कानून पास हुआ. नये कानून में पहली बार किसान को प्रजा नहीं, नागरिक माना गया. यह प्रावधान हुआ कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, उनमें से 80 फीसदी का इस बात के लिए रजामंद होना जरूरी है. नये कानून में यह बात भी थी कि प्रस्तावित भू-अधिग्रहण से पहले यह आकलन करना होगा कि आस-पास के लोगों की जिंदगी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है. जमीन छीनने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी. नये कानून में भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को लोकमुखी बनाया गया, मुआवजा भी बढ़ा. संसद में इस कानून पर दो साल से ज्यादा वक्त तक बहस चली. वर्तमान लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन की अगुवाई वाली एक समिति ने उन दिनों नये भूमि अधिग्रहण बिल की सिफारिश की थी. इस कानून का सभी दलों ने समर्थन किया था.

माननीय राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने किसान के दुःख-दर्द पर फड़कते हुए भाषण दिये थे. एक बार तो लगा कि इस लोकतंत्र में देर है, अंधेर नहीं. लेकिन अफसोस, ऐसा हो न सका. नये कानून के पास होते ही उद्योगपतियों, बिल्डरों और कंपनियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. कहा कि इससे देश का विकास रुक जायेगा. चुनाव तक तो सभी पार्टियां चुप थीं, लेकिन उसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया.

सरकार ने अब संसद के सामने जाकर 2013 के कानून को बदलवाने की जगह चोर दरवाजे से एक अध्यादेश जारी किया है. कहने को यह पिछले साल के कानून में संशोधन करता है, लेकिन वास्तव में यह अध्यादेश 2013 के नये कानून की सारी सकारात्मक बातें खत्म कर देता है. अध्यादेश से सरकार ने एक 'बाइपास' बना दिया है. ऐसे पांच विशेष कारण चिह्नित किये हैं, जिन पर 2013 वाले अधिनियम में वर्णित भू-अधिग्रहण के प्रावधान लागू नहीं होंगे. इन पांच कारणों का दायरा इतना विस्तृत है कि भूमि-अधिग्रहण का हर मामला उनके भीतर समेटा जा सकता है. भूमि-अधिग्रहण के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी अफसरों को दंड देने का प्रावधान पलट दिया गया है. नये कानून में व्यवस्था थी कि अधिग्रहीत जमीन पांच साल तक इस्तेमाल में नहीं आती तो उसे लौटा दिया जायेगा. अध्यादेश में इसे भी लगभग खत्म कर दिया गया है. यानी एक बार फिर हमलोग भूमि-अधिग्रहण के मसले पर लौट कर 120 साल पुराने अंगरेजों के जमाने के कानून पर पहुंच गये हैं. विस्थापन के विरुद्ध सालों के संघर्ष एक झटके में निष्प्रभावी हो गये हैं.

संयोग है की यह अध्यादेश 31 दिसंबर की शाम को लागू हुआ. किसानों-आदिवासियों को नये साल की सरकारी मुबारकबाद देने का यह तरीका बेजोड़ है!